FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

श्री मांगीलाल	**बनाम**	सरकार

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 01/2020 विविध प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
03.01.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी, अधिवक्ता अप्रार्थी-2 एवं राजकीय पेरोकार उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा-151 जा.दी. पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में प्रस्तुत किया कि सहवन से आगामी पेशी दिनांक गलत नोट हो जाने से उनको नियम पेशी की जानकारी नहीं हुई जिससे वह नियत पेशी दिनांक को उपस्थित नहीं हो सके और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण अदम पैरवी अहम हाजरी में खारिज कर दिया गया जिसके जानकारी प्रार्थी को ससमय नहीं होने से हस्तगत प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका, हुई देरी को क्षम्य करने बाबत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का पृथक से प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मूल प्रकरण संख्या 48/14 बउनवान मांगीलाल बनाम सरकार पुन नम्बर पर लिये जाने का अनुरोध किया। उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थी-2 हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया। राजकीय पेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र को पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्णित करने का अनुरोध किया। हस्तगत प्रकरण राजस्व ग्रुप-6 विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में क्षेत्राधिकार परिर्वतन से इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा-5 में प्रस्तुत कारणों को संतोषप्रद समझते हुए प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद शुमार किया जाता है। अधिवक्ता अप्रार्थी-2 द्वारा भी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल प्रकरण संख्या 48/2014 को पुनः नम्बर पर लिये जाने में अपनी स्वीकृति जाहिर की। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा-151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 48/14 बउनवानी मांगीलाल बनाम सरकार पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है जिसे नये नम्बर पर इस न्यायालय में दर्ज किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल प्रकरण के साथ संलग्न की जावें।		